

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/146(120)/XXVII(8)/2008
देहरादून:: दिनांक:: 25 जनवरी, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
4	एविएशन टरबाइन फ्यूल	नि० या आ०	1 प्रतिशत

(बी०बी०मठपाल)
अपर सचिव

सं० 62/2016/146(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

विश्व
[Handwritten signature]

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 62/2017/146(120)/XXVII(8)/2008 dated 25 January, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.62/2017/146(120)/XXVII(8)/2008
Dehradun :: Dated:: 25 January, 2017

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

1- In Schedule III, for the existing entry at serial no. 4, the following entry shall be substituted, namely -

Sr. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax Percentage
4	Aviation Turbine Fuel	M or I	1 Percent

Mathpal
(B.B.Mathpal)
Additional Secretary